conclusion that everything was lost and therefore he abdicated his post?

Shri Hajarnavis: No, Sir. His explanation, if I may read it out, is this . . .

Shri D. C. Sharma: This is an insinuation on the Prime Minister . . .

Shri Nath Pai: Rubbish. Do not pretend to be so loyal . . .(*Interruptions*).

Mr. Speaker: There is no insinuation.

Shri Hajarnavis: What he said amounts to this. On 20th November 1962 he went to the airport in order to arrange to send away his family. He was so upset and exhausted that when he was about to take leave from his family he completely broke down and in a sudden impulse decided to escort them to Calcutta and return by the next available plane. He had no time to talk to his Commissioner and inform him about his sudden departure but he had informed the Assistant Director CID who was also inside the aircraft to inform the Commissioner about his departure and the conditions under which he had left. So, that what the hon. Member has suggested is very far from truth.

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस घटना को हुए साढ़े तीन महीने से अधिक हो चुके हैं और यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अवस्था में इस बारे में सूचना एकत्र करने में इतनी देर क्यों हो रही है और देर से से देर कब तक यह काम पूरा हो जायगा ।

श्री हजरतबीस : जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी इस को किया जायगा ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या इस बारे में देर होने के कोई खास कारण हैं ।

श्री हजरतबीस : कोई खास कारण तो नहीं है, लेकिन आने-जाने में समय लगता है ।

Shri Bhagwat Jha Azad: During the pendency of this enquiry, have the officers on whom *prima facie* charges of neglect of duty had been established, been put under suspension or are they still at large?

Shri Hajarnavis: Departmental proceedings have been instituted against various officials but I cannot say what action was taken in each case. Presumably it must have been done.

Shri Heda: May I know whether any part of any general circular sent by the Home Ministry from here gave the indication that the Government officers should avoid falling into the hands of the enemy and therefore they should escape themselves?

Shri Hajarnavis: As I stated earlier, I should like to have a specific question on this point, and then I shall give the answer.

Shri Daji: Could the Government give us the total number of employees against whom action is pending and also the number of persons who have been suspended pending enquiry?

Shri Hajarnavis: That is the information which we are collecting, and as soon as it is available, we shall give it.

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तेजपुर के एस० पी० के खिलाफ कोई शिकायत है और यदि है, तो क्या उसके खिलाफ कोई जांच हो रही है ।

श्री हजरतबीस : अभी तक मेरे पास इसकी कोई खबर नहीं है । अगर बाद में आ जायगी, तो उस की जांच की जायगी ।

दिल्ली में व्यक्तिगत मकान बनाने वालों को सुविधायें

*२८१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में निवास की समस्याओं का समाधान करने के लिये

व्यक्तिगत मकान बनाने वालों को सुविधा देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मकानों का अभाव होने के कारण दिल्ली में किराये बहुत अधिक हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन सहकारी समितियों को भूमि का आवंटन करने में बहुत देरी कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) भारत सरकार के निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्रालय ने नागरिक क्षेत्र में व्यक्तिगत मकान बनाने वालों को वस्तुतः अपने निवास के लिए मकान बनाने के हेतु आर्थिक सहायता देने के लिए "न्यून आय वर्ग आवास योजना" तथा "माध्यमिक आयवर्ग आवास योजना" नामक दो योजनाएं बनाई हैं। "दिल्ली में भूमि के उच्च सारांश अधिग्रहण, विकास तथा निपटान" की योजना (जिसकी मुख्य-मुख्य बातें लोक सभा में २३ मार्च, १९६१ को श्री पी० जी० देब द्वारा दिए गए अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के नोटिस के सम्बन्ध में लोकसभा के सभा-पटल पर रखे गये विवरण में समाविष्ट हैं) के अधीन विकसित रिहायशी प्लाट भी उपलब्ध किए जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं। दिल्ली में किरायों का नियन्त्रण "दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, १९५८" के अधीन किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लहरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो संस्कृत बोली जा रही है।

Shri Hajarnavis: (a) The Government of India, Ministry of Works, Housing and Rehabilitation, have formulated two housing schemes, namely, the Low-Income Group Housing Scheme and Middle Income Group Housing Scheme for grant of financial assistance to individual house-builders in urban areas for the construction of houses for their *bona fide* residential use. Developed residential plots are also being made available under the scheme for 'large scale acquisition, development and disposal of land in Delhi', the main features of which are given in the statement laid on the Table of the Lok Sabha on 23rd March, 1961, in connection with the Call Attention Motion tabled by Shri P. G. Deb.

(b) No. Rents in Delhi are controlled under the Delhi Rent Control Act, 1958.

(c) No.

(d) Does not arise.]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या सरकार ने इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण कराया है कि भारत की राजधानी दिल्ली में अभी तक कितने नागरिक इस प्रकार के हैं, जिनके निवास की व्यवस्था नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो उनकी संख्या का क्या अनुमान लगाया गया है ?

श्री हजरनवीस : उनकी संख्या का अनुमान तो नहीं लगाया गया है, लेकिन उनकी संख्या बहुत बड़ी है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या सरकार ने कोई इस प्रकार की जानकारी लेने का भी यत्न किया है कि राजधानी में किराये अपने अनुपात से कई प्रतिशत अधिक बढ़ गए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके समाधान के सम्बन्ध में कोई विशेष चेष्टायें की हैं और यदि की हैं, तो वे क्या हैं ?

श्री हजरनवीस : जैसा कहा गया है कि किराये का नियन्त्रण दिल्ली रेंट कण्ट्रोल एक्ट के मुताबिक होता है और उसकी जो क्लाज ६ है, उसके मुताबिक स्टैण्डर्ड रेंट मुकर्रर

किया जाता है । उस स्टैण्डर्ड रेट से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि किराये बढ़े हुए हैं । क्या सरकार ऐसे सामान कर रही है कि और मकान बनाये जायें ताकि किरायों को बढ़ने से रोका जा सके ?

श्री हजरनवीस : इसके लिए तो जैसा मैंने कहा दो स्कीम्ज बनाई गई हैं, एक तो कम आमदनी वालों के लिए घर बनाने की योजना है और दूसरे मध्यम आमदनी वालों के लिये घरों की योजना है ।

श्री रामेश्वरानन्द : प्रश्न और है तथा उत्तर दूसरा हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ।

श्री जगदेव सिद्धान्ती : जो निज रूप से सहकारी समितियां हैं, जो कि छोटे लोगों के लिए, कम आमदनी वाले लोगों के लिए मकान बनाने की योजना कर रही हैं और अपने पैसे भी लगाती हैं, सरकार उनको क्या सहायता देगी ?

श्री हजरनवीस : सरकार उनको भी सहायता दे रही है । जैसे अभी मैंने कहा अभी कि दस कोआपरेटिव सोसाइटीज के लिए जगह दी गई है जो ८५० एकड़ है । फिर ग्यारह सोसाइटीज ऐसी हैं जिनके लिए जगह मुकर्रर की गई है । अगर वे पैसा जमा कर देंगी तो उनको भी जगह दे देंगे । कुल ७१ ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं जिनके बारे में विचार किया जा रहा है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या सरकार को मालूम है कि जो सुविधायें मकान बनाने की सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को दी गई हैं, उनसे जो मकान बनाये गए हैं, वे उनको तो नागरिकों को किराये पर लगा देते हैं और सस्ते मकान जो सरकार उनको किराये पर देती है, उनमें वे खुद रहते हैं और इससे किराया बढ़ रहा है ? इस बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ।

श्री हजरनवीस : जहां तक मेरा ख्याल है, एक ऐसा नियम है कि अगर किसी आदमी का घर दिल्ली में है, चाहे खुद के नाम से हो हो और चाहे रिश्तेदार के नाम से हो, वह सरकारी मकान अपने लिए नहीं ले सकता है ।

Shrimati Savitri Nigam: May I know how far this is correct that while there are a number of other societies which have fulfiled all the conditions, only two societies, one of which has got high officials and the other . . .

Mr. Speaker: Order, order. She is arguing the case on behalf of some society.

Shrimati Savitri Nigam: No, Sir; I am not arguing. Kindly let me finish my question and then you will decide. May I know how far this is correct that only two societies have been allotted land while other societies which have fulfilled all the conditions have not been allotted the land?

Shri Hajarnavis: The hon. lady Member had not followed my earlier answer. I said that 10 housing societies have already been allotted land. 11 will be allotted land. Already land has been allocated to them and land will be made available to 11 (eleven) as soon as they pay the deposit premium. The total number of applications which the authority is considering is 71.

श्री गु० सि० मुसाफिर : दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया था कि जिन कोआपरेटिव सोसाइटीज ने १३-११-१९५९ के बाद जमीन खीदी थी, उनको जमीन एलाट की जाए । क्या इससे कोई हार्डशिप हो रही है लोगों को ? उनका लाखों रुपया ब्लाक हो गया है । क्या सरकार इस पर गौर

करने के लिए तैयार है कि यह १३–११–१९५९ वाली जो शर्त है, इसको हटा दिया जाए ?

Mr. Speaker: That is only a suggestion.

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच है कि देश के अन्य भागों की तरह दिल्ली में भी संकट काल की स्थिति में निम्न आय के लोगों को जो सहायता दी जा रही थी मकान बनाने के लिए वह बन्द कर दी गई है ?

श्री हजरनवीस : मेरी जानकारी में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि दिल्ली में किराया नियंत्रण कानून लागू किया गया है । क्या उन्होंने इस बात का पता लगाने की कोशिश की है कि उसकी शर्तों का किस कद्र पालन किया जा रहा है और अभी भी कितने परसेंट अधिक पगड़ी देनी पड़ रही है मकान लेने के लिए ?

श्री हजरनवीस : ऐसा कोई केस मेरी जानकारी में नहीं है जिसमें पगड़ी देनी पड़ी हो । अगर किसी चीज के बारे में शिकायत है तो अदालत में उस मामले को ले जाया जा सकता है ।

Shri A. P Jain: Is it a fact that the Central Government have auctioned lands at the rate of Rs. 300 to Rs. 400 per square yard and the high price of land is responsible for high rents in Delhi?

Shri Hajarnavis: Such a suggestion could be made.

Shri Sham Lal Saraf: May I know if Government are taking steps like sending out some of the offices from Delhi to outside places, in order to remove the congestion in Delhi, so that more space is made available?

Mr. Speaker: That is a suggestion for action.

Koyali Oil Refinery, Gujarat

***282. Shri Yashpal Singh:** Will the Minister of **Mines and Fuel** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 447 on the 23rd January, 1963 and state:

(a) whether any decision with regard to a limited company to be formed to run the Public Sector refinery at Koyali in Gujarat has been taken; and

(b) if so, when the constitution of the proposed company will be finalised?

The Minister of Mines and Fuel (Shri K. D. Malaviya): (a) Not yet, Sir.

(b) Does not arise at present.

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि शैड्यूल्ड टाइम पर तैयार होने में कोई देरी हुई है और कब तक आशा की जा रही है कि यह योजना पूरी हो जाएगी ?

श्री क० दे० मालवीय : तमाम प्रबन्ध चालू हो गया है और अभी प्राजैक्ट रिपोर्ट पर आखिरी समझौता सोवियत एक्सपर्टस और आयल एण्ड नैचुरल गैस कमीशन के बीच नहीं हुआ है । चन्द दिनों में ऐसी आशा है कि आखिरी समझौता हो जाएगा और सरकार को पूरा निश्चय है कि तृतीय योजना के पहले ही यह कोयली रिफाइनरी पूरी पूरी तैयार हो जाएगी और चालू हो जाएगी ।

श्री यशपालसिंह : किस फारेन कोलेबोरेटर्ज से यह काम हो रहा है ?

श्री के० दे० मालवीय : कोयली रिफाइनरी सोवियत कोलेबोरेशन से बन रही है ।

Shri Narendra Singh Mahida: May I know whether the Government have acquired all the lands required for the oil refinery and have they effected all the settlement?

Shri K. D. Malaviya: In respect of asquisition of land for the refinery, the cost has already been deposited